M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/SOLAR-DEHYDRATOR (1st)/2026–27/ 2017 दिनांक : 22.10.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : सोलर डी–हाईड्रेटर (हाईब्रीड टाईप एवं नॉन हायब्रीड टाईप) की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा वर्ष 2026–27 के लिए जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.05.2026

निगम के माध्यम से वर्ष 2026–27 एवं आगे की अवधि के लिए उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य विभागों के लिए सोलर डी–हाईड्रेटर (हाईब्रीड टाईप एवं नॉन हायब्रीड टाईप) के प्रदाय हेतु निम्नलिखित प्रदायक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय–विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :–

M/S CHDK TECHNOLOGY CENTER, A -12, IST FLOOR, SAWANT ELITE, NEAR SAI ESHANYA, BALEWADI. PUNE - 411045 (MH) -
MR. CHANDRAPRAKASH SHEKHAWAT, MANAGING DIRECTOR : 9687620011
E-MAIL : chdk.technology@gmail.com

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 12%	TOTAL PURCHASE PRICE (3+4)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 12% ON (6+7)	FINAL SELLING PRICE (6+7+8)
01	SOLAR DEHYDRATOR (HYBRID TYPE)	175000	8750	183750	175000	8750	9188	192938
02	SOLAR DEHYDRATOR (NON HYBRID TYPE)	128000	6400	134400	128000	6400	6720	141120

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

01. **दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर इस पत्र प्रसारण की दिनांक 14.10.2026 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 14.10.2026 से 13.01.2027) तक लागू रहेंगी। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।
02. **शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं होगी।
03. **आदेश प्रकिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन–लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार सोलर डी–हाईड्रेटर (हाईब्रीड टाईप एवं नॉन हायब्रीड टाईप) का निम्नानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे :–

---- 2

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्ते, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, केता विभाग से प्राप्त मांग में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरूद्ध है एवं प्रदायगी उपरांत कोई भी स्टॉक स्कंध में न रहे।

04. **सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण** :

सामग्री की गुणवत्ता का थर्डपार्टी निरीक्षण आरसीओ अनुसार Government Department approved by Constitutional Board of QUALITY COUNCIL OF INDIA i.e. NATIONAL ACCREDIATION BOARD FOR CERTIFICATION BODIES (N.A.B.C.B) such as RITES (Enterprises of Department of Railways Govt of India),PDIL (Organization under Department of Chemical and fertilizer Govt of India), IR-Class (Subsidiary firm of Indian Register of Shipping), National Productivity Council (Ministry of Commerce and Industries Govt of India), CIB Certification and Inspection Body, (Bharat Petroleum Corporation Limited), ICS (Indian Certification services) or any Government Engineering College, any Government Technical Department or any Government institution Govt. Polytechnic Collage, Govt.ITI, MSME Training, ETC. से ही कराया जावे। थर्डपार्टी परीक्षण का वहन प्रदायक द्वारा किया जावेगा।

05. **सामग्री की गुणवत्ता संबंधी शिकायत का निराकरण** :

(अ) निगम के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबधंक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता की जांच थर्डपार्टी निरीक्षण एजेन्सी से कराया जावे। सामग्री की गुणवत्ता पत्र के साथ संलग्न मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी। परिवहन के दौरान यदि किसी प्रकार की टूट फूट होती है तो जिला प्रबन्धक सामग्री प्राप्त करने से पूर्व ट्रान्सपोर्टर से डेमेज प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये वांछित सुधार हेतु प्रदायक को सूचित करेगें। सामग्री वांछित गुणवत्ता के न होने की दशा में कन्साईनमेंट को अमान्य करते हुये प्रदायक को वापिस किया जावेगा, जिसका परिवहन व्यय प्रदायक द्वारा वहन किया जावेगा।

(ब) प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर प्रदायक के विरूद्ध आर.सी.ओ. की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

06. **सामग्री की प्रदायगी** : सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदायित सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे। किसी भी स्थिति में केता विभाग को प्रदायक द्वारा सीधे प्रदायगी न की जावे, यह सुनिश्चित किया जावे।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिर्टन GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

07. **प्राईज़ फार क्लॉस** –

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जा रहीं सामग्री की दरों एवं बाजार में प्रचलित दरों में एकरूपता हो, इस संबंध में निर्माता से बाजार में उनके यंत्रों की दरें समतुल्य रहने संबंधी स्टाम्प पेपर पर अंडर टेकिंग प्राप्त की गयी है। अतः कृपया अनुमोदित प्रदायक की बाजार में प्रचलित दरों की अधिकृत जानकारी रखें एवं मुख्यालय को अवगत करावें।

08. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, जियोटेग फोटोग्राफ तथा निगम को कृषक अंश राशि प्राप्त होने पर कृषक अंश राशि तथा अनुदान राशि प्राप्त होने पर अनुदान राशि का भुगतान **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा

09. **मापदण्ड** – सामग्री के मापदण्ड पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं। आदेश में मापदण्डों का स्पष्ट उल्लेख किया जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं मापदण्ड के अनुसार प्रदाय की जा सके।

10. **प्रशिक्षण (ट्रेनिंग)** : निगम के जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदान की गयी सामग्री के उचित संचालन और रख–रखाव हेतु हितग्राही / केता विभाग द्वारा चयनित व्यक्ति, अधिकारी/कर्मचारी और निगम से संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को प्रदायक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जावे।

11. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse or fails to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

13. उक्त के अतिरिक्त शेष नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा सोलर डी–हाईड्रेटर (हाईब्रीड टाईप एवं नॉन हायब्रीड टाईप) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 14.05.2026 के अनुसार रहेंगी। आर.सी.ओ. के नियम एवं शर्तें इस पत्र के साथ ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है।

प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :– 2018/22-10-26

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

2. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी–ब्लॉक, गौतम नगर, भेपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करें एवं जिला प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक एवं संबंधित प्रदायक को ई–मेल द्वारा सूचित किया जावे।
9. **M/S CHDK TECHNOLOGY CENTER,** A -12, IST FLOOR, SAWANT ELITE, NEAR SAI ESHANYA, BALEWADI. PUNE - 411045 (MH) संबंधित प्रदायक की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि सामग्री प्रदाय किये जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा की वह उपरोक्त समस्त शर्तो से सहमत है। सामग्री के प्रदाय से संबंधित देयक निगम के जिला प्रबंधक को जारी करते समय देयक पर इस आशय का उल्लेख अवश्य किया जावे की देयक के विरूद्ध प्रदाय की जा रही सामग्री निगम के आर.सी.ओ. के अनुसार निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता की है।

प्रबंधक (विपणन)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

ANNEXURE -V

SPECIFICATION Of SOLAR DEHYDRATER Made in India (Hybrid Type)

1- Drying Chamber specification-

- **Drying Capacity** - 100 kg
- **Number of trays** - 24
- **Loading Capacity Per Tray** - Approx 4-5 kg
- **Tray Material** - Stainless Steel Wire (304) Mesh trays with Aluminum Frame
- **Tray Dimensions (L x W x T)** - 700mm x 800mm x 25mm
- **Tray Spacing (GAP)**- 45 mm (for proper air circulation)

2 - Electrical specification (Hybrid Solar Dryer)

- **Number of fans**- 4 dryer fans, 02 exhaust fans
 1. Voltage - 12 V AC/DC
- **Heater**
 1. Number - 02 (250 W Each)
 2. operation - Solar Powered with Battery Backup during low sunlight / night
- **Battery**
 1. Number - 02
 2. Type - Sealed Maintenance free
 3. Voltage- 12V,
 4. Capacity - 150 Ah
- **Inverter**
 1 kVA (Pure sine wave)
- **Controller**
 Solar Charge - Controller with MPPT, Battery protection and load management.
- **Display System**
 Digital Display for Date, Time, Temperature and Humidity
- **Internal Lightining** - LED light - 2 Watt
- Arrangement for Changeover to operate with 1- phase AC Supply

3 - Solar Panel Specification-

- **Solar Panel Rating**- 800 Wp
- **Frame Material** - Anodized Aluminum Alloy
- **Front Glass** - Tempered Glass ,3.2 - 4 mm, Anti- Reflective
- **Encapsulation** - EVA (Ethylene vinyl Acetate)
- **Junction Box** - IP67 Rated
- **Output Cable**- 4 mm^2 Length 900 - 1200 mm

4 - Constructional Specification-

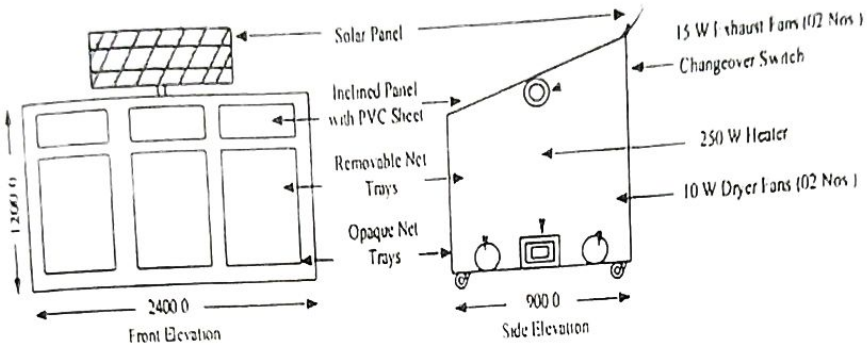
- **Overall Machine Dimensions (LxBxH)** - 2400mm x 900mm x 1200 mm
- **Main Structure** - Mild Steel Frame with power coating
- **Temprature** - Temperature Controller for maintaing 60 degrees in the Dryer
- **Insulation** - Polyurethane Foam (PUF) with thickness' of 50-60 mm
- **Colour of Product** - Black
- **Type of Dryer** - Hybrid Solar Dryre (Solar + Electric Backup)
- **Application** - Fruits, Vegetables, spices, medicinal & Aroma

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

Seal & signature of the Bidder

RAWING DESIGN Of SOLAR DEHYDRATER (Hybrid Type)

SOLAR DEHYDRATOR (HYBRID)



Solar PV Based Supply System



विद्युत अभियांत्रिकी विभाग
Electrical Engineering Department
मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
Maulana Azad National Institute of Technology
भोपाल (म.प्र.) / BHOPAL-462003 (M.P.)

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. ★ BHOPAL ★

SPECIFICATION Of SOLAR DEHYDRATER (Non Hybrid Type)

Overall Dimensions of Solar Dryer

Overall Size (L x W x H), mm		12440 x 1160 x 1110 mm
No. and size of base frame pipe (L x W x H), mm		30 No. & Vertical : 25 x 25 x 740 mm 15 No. & Horizontal : 1180 x 25 x 25 mm

Drying area

Overall length of drying area, mm		8222 mm
No. of drying screens		15
Total size of one screen (L x W), mm		1062 x 532 mm (screen in two compartments)
Effective area of one screen(L xW), mm		992 x 490 mm
Mesh size (no. of wire holes per inch)		14
Size of one hole / passing, mm		1.82-1.90 mm
Thickness of body sheet of drying base Sheet, mm		0.90 (G.I.)
Type of material covering sheet		Polycarbonate sheet
Thickness of polycarbonate sheet, mm		1.0 mm
Type and size of pipe used for sheet holder, mm		Aluminum OD= 17mm , ID= 13 mm

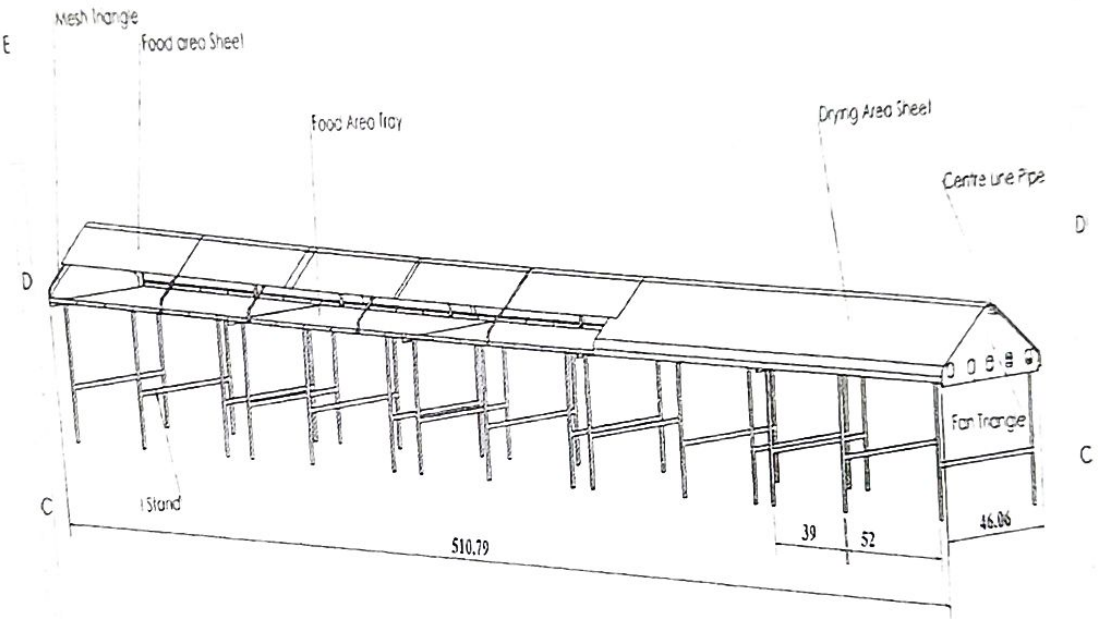
Absorber/Collector

a.	Total length of collector, mm		4030 mm
b.	No. of compartments		05
c.	Size of one compartments (L x W x H), mm		1000 x 1175x380 mm
d.	Slope of the compartments		25.5
e.	Size of base stand of collector (L x W x H), mm		28 x 28 x 3.5
f.	Material of body sheet		G.I.
g.	Base frame		MS

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. BHOPAL

DRAWING DESIGN Of SOLAR DEHYDRATER (Non Hybrid Type)

All demensions are in "Inches"



100 kg

M.P. State Agro Ind. Dev. Corpn. Ltd. * BHOPAL *